



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127777

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 19430 वर्ष 2026

सफरुद्दीन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: विश्व प्रताप सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वीपी सिंह को सुना गया, जिन्होंने पूरक हलफनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है, और उ.प्र. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को भी सुना गया है।
2. यह जमानत आवेदन बरेली जिले के इज्जतनगर थाने में दर्ज मुकदमा अपराध सं. 338 वर्ष 2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 324(4), 61(2), 125-बी, 317(2) बी.एन.एस. और पेट्रोलियम एवं पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम की धारा 15(2) में, आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, मुस्तफ उर्फ मुस्तफ खान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 05.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 19644 वर्ष 2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास पूरक हलफनामे के पैराग्राफ सं. 2 में अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है और आवेदक 03.05.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, मुस्तफ उर्फ मुस्तफ खान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, मुस्तफ उर्फ मुस्तफ खान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 03.05.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त **सफरुद्दीन** को व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आरोपी इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आरोपी प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (i) मामले की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।